

आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला में कार्यरत प्रधानाचार्य को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व डी0डी0ओ0 तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान-प्रदान शक्तियां दी जानी है।	जिस संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान-प्रदान शक्तियां प्रदान की जाती है।	रिमार्कश
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल	श्री राजेन्द्र कुमार वर्ग 'क', Training Development Officer, ITOT, रोहतक	यह कार्य उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त दिया जाना है और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलाली बलाली	श्री इन्द्र सिंह उप प्रधानाचार्य, वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी।	यह कार्य उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त दिया जाना है और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर रानी	श्रीमती राजबाला, प्रधानाचार्य, वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचकुला।	यह कार्य उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त दिया जाना है और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
4.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, चरखी दादरी	श्री जीतपाल प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावलधी	यह कार्य उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त दिया जाना है और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

दिनांक 29.07.2015

एस0के गोयल,
महानिदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क्र० टीई/99/158/डीडीओ/1252

दिनांक: 3.8.15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल, कलाली बलाली, रायपुर रानी, भिवानी, रावलधी, (महिला) चरखी दादरी।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0ओ0टी0, रोहतक।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. *ने.इ.ए. फा.प्र.भारी को.सू.प्र.।*

सहायक निदेशक (प्रशासन-II)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।